कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

फोन संख्या :– 0291–2651491, हेल्पलाईन :– 0291–2651473 e-mail: cmc south 5 @gmail.com

कमांकः–न.नि.जो. (द.) / DAY-NULM / SUH / 2022–23 / 19788 दिनांकः– 21/10/22

:: अल्प कालीन ई–निविदा ::

यूनिट बिड संख्या DLB2223WSOB19228

जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से DAY-NULM की गाईड लाईन अनुसार आश्रय स्थलों का संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थाओ / संगठनों / एसोसिएशन आदि से निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदा आमत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	02.11.2022	11 AM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	09.11.2022	3 PM
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	10.11.2022	11 AM
निविदा शुल्क / धरोहर राशि की मूल प्रति DAY-NULM कार्यालय में जमा कराने की दिनांक व समयावधि	09.11.2022	3 PM

वर्षिक दर अनुबंध के आधार पर कार्य निविदा का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क. सं.	कार्य का नाम (आश्रय स्थल का पता)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रकिया	राज्य सरका द्वारा संभावित स्वीकृत की जाने वाली राशि (लाख रू वार्षिक)	क्षमता
1	पीली टंकी	10,000 रू.	500 रू.	500 रू	3.00	30
2	सरस्वती नगर	10,000 रू	500 रू	500 रू	6.00	60

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

फोन संख्या :– 0291–2651491, हेल्पलाईन :– 0291–2651473 e-mail: cmc south 5 @gmail.com

क्रमांकः–न.नि.जो. (द.) / DAY-NULM / SUH / 2022–23 / 19797 दिनांकः– 21/10/22

आश्रय स्थलों के संचालन कार्य हेतु

: : तकनीकी निविदा का प्रस्ताव आमंत्रण : :

यूनिट बिड संख्या..

जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से DAY-NULM की गाईड लाईन अनुसार आश्रय स्थलों का संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थाओ, एरिया लेवल फेडरेशन/सिटी लेवल फेडरेशन एवं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी CSR के अन्तर्गत सहयोग देने वाली कम्पनीज/संस्थाओं (जिन्हें आगे चलकर आवेदनकर्ता/संस्था सम्बोधित किया जाएगा) को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में जोधपुर नगर निगम दक्षिण के नगरीय क्षेत्र में दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY-NULM के अन्तर्गत दो विभिन्न स्थानों पर स्थित आश्रय स्थलो का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आश्रय स्थलों के संचालन हेतु वित्तीय निविदा के स्थान पर तकनीकी निविदा के माध्यम से योग्य एवं अनुभंवी संस्थाओं का चयन करते हुए आश्रय स्थलों का संचालन करवाया जाना है। उक्त निर्देशो की पालना मे तकनीकी निविदा हेतु प्रस्ताव संलग्न आवेदन पत्र में आमंत्रित किये जाते है। निविदा से सम्बंधित प्रपत्र व जानकारी SPPP Portal पर देखी जा सकती है। आवेदन पत्र दिनांक 02/11/2022 से दिनांक 09/11/2022 समय 01:00 PM तक कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण DAY-NULM शाखा सोजती गेट प्रथम तल पर प्राप्त किये जा सकते है। भरे हुए आवेदन दिनांक 09/11/2022 को समय 3:00 PM तक जमा कराए जा सकेगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनो पर कोई विचार नही किया जाएगा। निर्धारित दिनांक तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो को उसी दिन .... बजे उपस्थित आवेदनकर्ता के समक्ष खोला जाएगा। पात्रता के परिणाम 5 कार्य दिवसो में घोषित कर दिये जाएगें। आवेदन पत्र का शुल्क 500/– प्रति आवेदन पत्र होगा जो भुगतान आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम डी.डी./चेक द्वारा जमा कराना होगा। नकद भुगतान स्वीकार्य नही होगा तथा आवेदन पत्र आश्रय स्थल वार पृथक–पृथक प्रस्तुत करने होगे। आवेदन पत्र का शुल्क रिफण्डेबल नही होगा। आवेदन के साथ संभावित वित्तीय सहायता राशि के 2% मूल्य के बराबर 50/– के स्टाम्प पर बिड सिक्योरिटी डिक्लेयरेशन सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

क्रमांकः–न.नि.जो. (द.) / DAY-NULM / SUH / 2022–23 / 19798 to 19799 दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. ओसवाल डाटा प्रोसेसर को भेजकर लेख है कि ई–निविदा सूचना पोर्टल संख्या तुरन्त प्रभाव से संम्बधित उपायुक्त को प्रस्तुत करे एवं निविदा सूचना निगम की वेबसाईट www.sppp-rajasthan.gov.in www.jodhpurmc.org पर अपलोड करने हेतु।
2. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम दक्षिण।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

परिचय :– आश्रय स्थल का उद्देश्य बेधरों के लिए आश्रय उपलब्ध करवाना है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत SHU घटक के तहत चरणबद्ध तरीके से शहरी बेधरों को सभी आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना है। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पोलीसी (NUHHP) 2007 का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो को सस्ती कीमतो पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश में आवास के सतत विकास को बढावा देना। हालांकि, इनमें से सबसे कमजोर शहरों में रहकर कार्य करने वाले शहरी बेघर है। शहरी बेघर व्यक्ति शहरों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते है और इस प्रकार अनौपचारिक क्षेत्र में सस्ते श्रम के रूप में राष्ट्र के विकास में योगदान करते है। फिर भी वह बिना किसी आश्रय या सामाजिक सुरक्षा के रहते है शहरी बेघर लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन, पानी और स्वच्छता जैसी प्राथमिक सार्वजनिक सेवाओ तक पहुंच न होने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पडता है। योजना के उद्देश्य के लिए और भविष्य में बेधर लोगो के लिए DAY-NULM के अन्तर्गत आश्रय योजना के तहत बेघर के निम्नलिखित परिभाषा का उपयोग किया जाएगाः–

"बेघर शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जोकि घर या रहने की जगह नही रखते है या रेन बसेरो, पारगमन धरो, बाल गृहों में अल्पावधि ठहरने के लिए अपनी रातें बिताते है काम के स्थान पर सोना जैसे कि दुकाने (ढाबे सहित), कारखाने, निर्माण स्थल और कार्यालय आदि में अपनी रातें आजीविका के साधानों जैसे हाथ/धक्का गाडी, रिक्शा आदि में या सार्वजनिक स्थानो जैसे रेल्वे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड और पूजा स्थलों आदि में बिताएं या सडक के किनारे या फुटपाथ पर प्लास्टिक की चादरों सहित अस्थायी संरचनाओं में रह रहे है।"

इसके तहत अत्यंत कमजोर बेघर जनसंख्या समूह को वरीयता दी जाएगी जिसके पास किसी भी प्रकार का आश्रय (स्थायी या अस्थायी) नही है और खुली हवा में रहते है। इसका उद्देश्य नियमित आधार पर बेधर लोगो को संवेदनशील बनाया जा सके और आश्रय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके है।

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा के साथ धरोहर राशि रू 10,000/– निविदा शुल्क रू 500/– जरिये बैंकर्स चैक/डी.डी. आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम तथा ई – निविदा प्रकिया शुल्क रू 500/– MD RISL के नाम बैकर्स चैक/डी.डी.जमा कराया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. निविदा अवधि दो वर्ष के लिए है।
3. संस्था/संगठन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1958 एवं अन्य विधेयक/ एक्ट/ कम्पनी एक्ट/ युवा एवं महिला संध/ नेहरू युवा केन्द्र/ चैरीटेबल ट्रस्ट/ वृद्वा आश्रम संस्था/ कर्मचारी संगठन/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग में पंजीकृत ऐसी संस्थाये जो आश्रय स्थलो को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत कोई कम्पनी अथवा संस्थान स्वयं के संशाधनों (Non Financial Support) से आश्रय स्थल का संचालन करने की इच्छुक हो तो ऐसी संस्थाएं अपना प्रस्ताव प्रसतुत कर सकती है, ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।
4. संचालनकर्ता संस्था को DAY-NULM के दिशा–निर्देशानुसार एक पूर्णकालिक प्रबंधक एवं तीन केयरगिवर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रिमिक दर पर करनी आवश्यक होगी एवं नियमित सफाई की व्यवस्था करना भी अनीवार्य होगा। आश्रय लेने वाले प्रत्येक आश्रयविहीन के सम्बन्ध में जानकारी एवं आश्रय स्थल से सम्बन्धित गाईडलाईन में निर्धारित समस्त रजिस्टरों के संधारण के साथ समय–समय पर जारी होने वाले समस्त निर्देशों की पालना करनी होगी।
5. केयर गिवर्स, मैनेजर व सफाई कर्मचारी को यूनिफार्म संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी व परिचय पत्र दिया जाएगा। वक्त निरीक्षण यूनिफार्म में न होने, परिचय पत्र न होने पर प्रति मौका 100/– रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शास्ती आरोपित की जाएगी इस प्रकार केयर गिवर्स एवं प्रबंधक की अनुपस्थिति होने पर 500/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आश्रय स्थल संचालक संस्था से शास्ती आरोपित की जाएगी जो कि मासिक बिल भुगतान के समय कार्यालय द्वारा काटी जायेगी।
6. आश्रय स्थल पर नियुक्त कार्मिको का शिफ्टवार विवरण आश्रय स्थल पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करना होगा इस विवरण में संस्था का नाम, पता, दूरभाष नियुक्त कार्मिको का नाम, पता, दूरभाष नम्बर व शिफ्ट का विवरण होना अनिवार्य होगा।
7. आश्रय स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा एवं आश्रय स्थल के 3 KM परिधि में आश्रय स्थल पहुचने के दिशा सूचक संचालक संस्था द्वारा लगवाने होगे।
8. आश्रय स्थल पर नियुक्त कार्मिको को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ई. एस.आई. व पी एफ का भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
9. संस्था द्वारा लगाए गए कार्मिको की सूचना मय आईडी प्रूफ DAY-NULM जोधपुर नगर निगम दक्षिण शाखा में उपलब्ध करवानी अनिवार्य होगी तथा किसी नियुक्त कार्मिक को हटाए जाने पर नव नियुक्त कार्मिक का विवरण DAY-NULM जोधपुर नगर निगम दक्षिण शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विभाग को उपलब्ध कराई गई सूचना मे दिये गए कार्मिको के स्थान पर अन्य कार्मिक के कार्यरत पाए जाने पर 500/– की शास्ती आरोपित की जाएगी जो कि मासिक बिल भुगतान के समय कार्यालय द्वारा काटी जायेगी।

10. आश्रय स्थल को पूर्णतया स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। सफाई कार्मिक को सामग्री यथा फिनाइल, एसिड, झाडू, मोप आदि उपलब्ध करवाना होगा जिसका समस्त व्यय संस्था का होगा व शौचालय, स्नानधर को दिन में कम से कम दो बार स्वचछ कराना होगा व शौचालय के उपयोग पश्चात हाथ धोने हेतु लिक्विड सोप/साबुन व हाथ पौंछने के लिए नेपकीन/टॉवेल उपलब्ध कराना होगा। आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। सफाई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर 500/– प्रति मौका शास्ती लगाई जाएगी जो कि मासीक बिल भुगतान के समय कार्यालय द्वारा काटी जायेगी तथा तत्काल सफाई करानी होगी।

11. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के शैल्टर्स से सम्बन्धित घटक (SUH) की जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन एवं होमलेस के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/निर्देशो की पालना करनी होगी तथा DAY-NULM के दिशानिर्देशानुसार संचालनकर्ता संस्था को सुचारू व्यवस्था यथा सफाई, बिजली, पानी/पेयजल का प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, अत्यधिक गर्मी में पखों के अलावा कूलर एवं अत्यधिक सर्दी में तापने हेतु की व्यवसथा करनी होगी तथा क्षमता अनुसार आवश्यक बिस्तर गाईड लाईन के दिशानिर्देशानुसार तथा गद्दा, तकिया, दरी, रजाई, कम्बल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं समय–समय पर धुलाई करवानी होगी साथ ही आपात परिस्थितियों में हरसंभव वंछित व्यवस्थाएं करनी होगी। कवर्स को प्रति 10 दिवस में धुलवाना होगा गद्दों व रजाई को नियमित रूप से धूप दिखानी होगी, कम्बलों को सर्दी ऋतु में नियमित अन्तराल पर ड्रायक्लीन/धुलवाना होगा संक्षेप में आश्रय स्थल पर उपलब्ध शयन व्यवस्था स्वच्छ रखनी होगी। शयन व्यवस्था में स्वच्छता न होने पर कवर्स कम्बल आदि फटे होने पर शयन व्यवस्था संतोषप्रद नहीं मानी जाएगी और प्रति मौका 1000/–की शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

12. संस्था को माह में कम से कम दो बार तथा आवश्यकतानुसार मच्छरों/कीटों को रोकने के लिए कीटनाशक स्प्रे कराने होगें। कीटनाशक स्प्रे करने का व्यय संस्था द्वारा किया जाकर तिथिवार रेकॉर्ड रखना होगा।

13. ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी तथा ठहरने वालों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर जॉच उपरान्त शिकायत सत्य पाए जाने पर अनुबंध निरस्त कर भविष्य में इस प्रकार के कार्य हेतु विवर्जित करने की कार्यवाही की जाएगी।

14. संचालनकर्ता संस्था द्वारा आश्रय स्थल में क्षमता के 10 प्रतिशत लोगो यथा वृद्धजन, विशेष योग्यजन, निशक्तजन, बीमार, महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाना होगा।

15. आश्रय स्थल संचालक को सुनिश्चित करना होगा कि आश्रय स्थल पर कोई भूखा नही सोए इस हेतु इन्दिरा रसोई योजना का लाभ लिया जा सकता है।

16. संचालनकर्ता संस्था द्वारा आश्रय स्थल के आस–पास शहरी क्षेत्र में खुले में सोने वाले विस्थापित/बेधर/आश्रयविहीन/निराश्रित/वृद्व/विकलांग एवं बच्चों को समझाईश कर आश्रय स्थल में शरण लेने हेतु प्रेरित करना होगा तथा उनको उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करनी होगी।

17. आश्रय स्थलो का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु होलडीग, बेनर, ध्वनी यन्त्र के माध्यम से उच्च स्तारीय प्रचार–प्रसार अनिवार्य रूप से करना होगा।
18. आश्रय स्थलो में बेधर/आश्रयविहीन/निराश्रित/वृद्व/विकलांग एवं बच्चों को फुटपाथ पर सो रहे व्यक्तियो को आश्रय स्थ्लो तक पहुचाने हेतु वाहन व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी जिस का भुगतान जोधपुर नगर निगम दक्षिण द्वारा नही किया जायेगा सस्था अपने स्वयं के स्तर पर करेगी यदि आश्रय स्थल के आस–पास (3 किमी की परिधि में) सडक किनारे रह रहे व्यक्तियो की शीत ऋतु में निराश्रित व्यक्ति की ठंड से मृत्यु हो जाती है तो तत्काल संस्था का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
19. आश्रय स्थल में किसी निराश्रित के बीमार हो जाने उसे अस्पताल पहुँचाने अथवा आश्रय स्थल में किसी निराश्रित की मृत्यु हो जाने पर पुलिस कार्यवाही कर अन्तिम संस्कार करवाने की जिम्मेदारी भी संचालक संस्था की होगी।
20. संचालनकर्ता संस्था द्वारा आश्रयस्थल के लिए मासिक व्यय की राशि के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिल स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत करना होगा तथा खर्च से सम्बन्धित व्यय पत्रक/पत्रकों को संलग्न करना होगा तथा यह कार्य हर माह 7 तारीख तक करना होगा अन्यथा विलम्ब से प्राप्त बिल का भुगतान अगले माह प्राप्त होने वाले बिल के साथ होगा। विलम्ब से बिल पेश करने पर भुगतान में देरी हेतु संचालनकर्ता संस्था स्वय जिम्मेवार होगी।
21. आश्रय स्थल से सम्बन्धित बिजली एवं पानी के व्यय के बिल का भुगतान संचालन संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा संस्था द्वारा इस मद में सम्बन्धित विभाग को जमा करवाई गई राशि की प्रमाणित मूल प्रति मांग पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। बिजली एवं पानी के व्यय की राशि भी संस्था द्वारा निविदा में दी गई संचालन राशि का ही भाग होगा। इसका अलग से भुगतान देय नहीं होगा साथ ही इसमें यदि नया कनेक्शन लेने की आवश्यकता होती है या सबमीटर लगाने की आवश्यकता पडती है तो सम्पूर्ण व्यय संस्था को वहन करना होगा व यदि संस्था द्वारा नियमित बिल जमा नही कराने से कनेक्शन काट दिये जाते है तो निगम को अधिकार होगा कि बकाया जमा कराकर कनेक्शन पुनः कराये ऐसे समस्त व्यय की वसूली संस्था को देय राशि से की जाएगी। अनुबंध समाप्ति के समय बिजली व पानी का No Due Certificate प्रस्तुत करना होगा।
22. महापौर, आयुक्त एवं जिला परियोजना अधिकारी DNY-NULM की समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वो बिना कोई कारण बताये संचालन कार्य हेतु किये गए अनुबंध को समाप्त करे तथा आश्रय स्थल का संचालन जोधपुर नगर निगम दक्षिण/अन्य संस्था से कराये जाने का निर्णय ले सकेंगे।
23. आश्रय स्थल में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु उपलब्ध सामग्री का स्टॉक संचालक संस्था को मय रिकार्ड उपलब्ध करवायी जायेगी अनुबंध समाप्ति पर समस्त सामग्री मय रिकार्ड जोधपुर नगर निगम दक्षिण को लौटा कर NOC प्राप्त करनी होगी। सुपर्द वस्तुओ के चोरी/गुम या किसी भी प्रकार क्षय होने पर इसकी जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।
24. संस्था द्वारा संचालित आश्रय स्थल को अगर कोई कम्पनी कॉपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत् सहयोग करना चाहे तो उस सहयोग के बारे में नगर निगम को संस्था द्वारा अवगत करवाना होगा।

25. आश्रय स्थलों की निविदा मे एक संस्था द्वारा दो या तीन से अधिक निविदा स्वीकृत नही की जायेगी (पूर्व में संचालित आश्रय स्थलों को सम्मिलित मानते हुए)।
26. निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http:/eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ में भाग लेने वाले गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थाओं/संगठनों/एसोसिएशन को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
27. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी।
28. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदायें नही खोली जा सकती है,तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
29. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी घरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
30. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यलय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके निविदा पर प्रतिबन्ध रहेगा।
31. निविदा भरते समय साथ में धरोहर राशि व GST की प्रति को स्कैन कर लगाना होगा।
32. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते उस सीमा तक मान्य/लागू होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध मे नहीं हो।
33. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
34. संवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें दो वर्ष तक मान्य होगी।
35. भविष्य में योजनान्तर्गत बने क्षैत्र स्तरीय संध/शहरी स्तरीय संध/शहरी आजीविका केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण/पंजीयन होने पर कार्यालय द्वारा आश्रयस्थल संचालन कार्य अवधि पूर्ण होने से पहले ही योजनान्तर्गत रजिस्ट्रीकरण/पंजीकृत क्षैत्र स्तरीय संध/शहरी स्तरीय संध/शहरी आजीविका केन्द्र को संचालन हेतु दिया जा सकेगा।
36. आश्रय स्थल के औचक निरीक्षण में अव्यवस्था पाई जाने पर अथवा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत जॉच में सही पाये जाने पर 500/– रूपये (प्रति शिकायत/निरीक्षण) पेनल्टी वसूल की जायेगी। आवश्यकता होने पर पेनल्टी राशि बढाई जा सकती है।
37. बिड का निर्धारण तकनीकी निविदा में अंकित मापदंडो पर ही किया जायेगा।
38. निविदा में संस्था का चयन तकनिकी मुल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।
39. निविदा में चयनित संस्था को SUH गाईडलाइन के अनुसार 500 रू के स्टाम्प पर MOU करना होगा।
40. संस्था द्वारा दिये गये सभी दस्तावेजो के सत्यापन हेतु संस्था को एक लिखित में शपथ पत्र देना होगा।

तकनिकी बिड हेतु निर्देश

1. न्युनतम 5 वर्षो के अस्तित्व के पंजीकृत संस्था/संगठन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1988 एवं अन्य विधेयक/एक्ट/कम्पनी एक्ट/युवा एवं महिला संध/नेहरू युवा केन्द्र/कर्मचारी संगठन/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में पंजीकृत अथव एजेंसिया और CSO जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है एवं किसी भी सरकारी विभाग मे स्वयं सहायता समूह के रूप में पंजीकृत होना चाहिए तथा प्रस्ताव स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न होना चाहिए।
2. संस्था/संगठन के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना चाहिए तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए तथा प्रस्ताव के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न होना चाहिए।
3. संस्था/संगठन को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के माध्यम से यूनिक आईडी प्राप्त किया हुआ होना चाहिए तथा यूनिक आईडी की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न होनी चाहिए।
4. DAY-NULM के निर्देशानुसार पारिवारिक चिकित्सा,स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. संस्था/संगठन का पिछले 3 वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओवर रू 10.00 लाख होना चाहिए तथा प्रस्ताव के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्ष की मान्यता प्राप्त ऑडिटर द्वारा प्रमाणित संतुलन पत्र की प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
6. संस्था में कार्यरत न्युनतम 10 मानव शक्ति होनी चाहिए।
7. फर्म द्वारा EPF एवं ESI विभाग में नियमानुसार रजि.करवाकर रजि. की प्रति प्रस्तुत करना अनीवार्य होगा।
8. संस्था/ संगठन समाज कल्याण/ समाजविकास/ आजीविका/ स्वास्थय/ शिक्षा/ पर्यावरण/ स्वच्छता एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यो की प्रति एवं अब तक की प्रगति प्रस्ताव के साथ संलग्न होनी चाहिए।
9. संस्था का चयन तकनीकी योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
10. आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण सम्पूर्ण निविदा अथवा उसका कोई भी अंश बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने के लिए अधिकृत है।
11. समस्त विवादों व वाद का न्याय क्षैत्र जोधपुर होगा।
12. किसी भी वाद की स्थिति में आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

तकनीकी निविदा चैकलिस्ट

क.सं.	विवरण	संलग्न–हॉ/नही	पृष्ठ संख्या
1	धरोहर राशि 10000/–बैकंर्स चैंक/डी.डी. अनिवार्य		
2	निविदा शुल्क राशि 500/– बैकंर्स चैंक/डी.डी अनिवार्य		
3	MD RISL के नाम बैकंर्स चैंक 500/ डी.डी अनिवार्य		
4	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
5	श्रम विभाग में रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
6	ई.पी.एफ.रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
7	ई.एस.आई. रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
8	जी.एस.टी.टैक्स रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
9	वर्ष 2019–20,वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 की आयकर विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
10	वर्ष 2019–20,वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 की जी.एस. टी.टैक्स जमा विवरणी सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
11	टर्नओवर विवरण विगत तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर 10.लाख अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की सी.ए. द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।		
12	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है, इसका शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।		
13	संस्था में कार्यरत न्युनतम 10 मानव शक्ति होना अनीवार्य होगा। इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।		

योग्य व अनुभवी संस्था का चयन

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य बैधर एवं आश्रय विहीन व्यक्तियों को व्यवस्थित सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराना है अतः चयन का आधार लागत न होकर गुणवत्ता व अनुभव है। गुणवत्ता व अनुभव का आधार निम्नानुसार रखा गया है जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था चयनित होगी तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का मासिक भुगतान संचालन कार्य पर किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत स्वयं के संसाधनो से संचालन का प्रस्ताव देने वाली कम्पनियों/संस्थाओं को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी।

क.सं.	गुणवत्ता का आधार	अधिकतम अंक 100
1	रजिस्ट्रेशन का वर्ष a) वर्ष 19–20 के पश्चायत् रजिस्टर्ड संस्थाओं/ट्रस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् संस्था जिन का रजिस्ट्रेशन 20–21 तथा 21–22 में हुआ है आवेदन न करें। b) प्रत्येक वर्ष हेतु एक अंक अधिकतम अंक–15	15
2	राजस्थान राज्य की पंजीकृत संस्थाएँ : राज्य में पंजीकृत संस्था होने पर	5
3	जिले की संस्थाएँ : जिले में कार्यरत संस्था होने पर	5
4	शहरी मुद्दों से संबधित परियोजनाओं की संख्या जैसे आजीविका संवर्धन/मानव अधिकार/महिलाओं और बच्चो के साथ काम और विकलांग व्यक्ति/ छात्रावास संचालन /वृद्धाश्रम संचालन, अनाथालय संचालन/आश्रय स्थल संचालन/स्किल डवलेपमेंट का अनुभव 1. दो से अधिक प्रत्येक अनुभव हेतु 2 अंक अधिकतम अंक–20	20
5	**टर्नओवर** वर्ष 19–20, 20–21 व 21–22 का औसत टर्न ओवर 25.00 लाख होने पर	5
6	डे.एन.यु.एल.एम. योजना अन्तर्गत गठित एरिया लेवल व सिटी लेवल रजिस्टर्ड फेडरेशन होने पर 15 अंक	15
7	नगरीय क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य (छात्रावास संचालन, वृद्धाश्रम संचालन, अनाथालय, आश्रय स्थल संचालन, इन्द्रा रसोई) का संचालन अनुभव/स्किल डवलेपमेंट a) 5 समान प्रकृति के संचालन करने पर अंक–5 b) 2 या 2 से अधिक समान प्रकृति के संचालन करने हेतु प्रत्येक अतिरिक्त कार्य हेतु 2 अंक अधिकतम 10 अंक–10	15
8	संस्था में कार्यरत मानव शक्ति 10 से अधिक होने पर	10
9	श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होने पर	10

NNJS
जोधपुर नगर निगम - दक्षिण

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर
फोन संख्या :– 0291–2651491, हेल्पलाईन :– 0291–2651473 e-mail: cmc south 5 @gmail.com

क्रमांकः–न.नि.जो. (द.) / DAY-NULM / SUH / 2022–23 / 19788 दिनांकः– 21/10/22

:: अल्प कालीन ई निविदा सूचना ::

यूनिक बिड संख्या..

जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के तहत जोधपुर नगर निगम दक्षिण द्वारा जोधपुर शहरी सीमा में DAY-NULM की गाईडलाईन के दिशा निर्देशानुसार निम्नांकित आश्रयस्थलों का संचालन एवं प्रबंधन गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं / संगठनों / एसोसिएशन हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमत्रित की जाती है। ई–निविदा से संबंधित कार्यो की विस्तृत जानकारी निविदा की शर्ते आदि http://eproc.rajasthan.gov.in,www.sppp.raj.nic.in एवं www.jodhpurmc.org पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

क्रमांकः–न.नि.जो. (द.) / DAY-NULM / SUH / 2022–23 / 19789 to 19796 दिनांकः– 21/10/22
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
2. महापौर महोदया जोधपुर नगर निगम दक्षिण।
3. उप–महापौर जोधपुर नगर निगम दक्षिण।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम दक्षिण।
5. दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेख है कि ई–निविदा नियमानुसार आगामी समाचार पत्र में प्रकाशन कर बिल दो प्रति में लेखाशाखा जोधपुर नगर निगम दक्षिण में प्रस्तुत करें।
6. ओसवाल डाटा प्रोसेसर को भेजकर लेख है कि ई–निविदा सूचना पोर्टल संख्या तुरन्त प्रभाव से संम्बधित उपायुक्त को प्रस्तुत करे एवं निविदा सूचना निगम की वेबसाईट www.sppp-rajasthan.gov.in www.jodhpurmc.org पर अपलोड करने हेतु।
7. अधीक्षण अभियंता जोधपुर नगर निगक दक्षिण को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा के कार्यो की एच–सारणी एवं ई–निविदा सूचना http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने की व्यवस्था करावे।
8. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम दक्षिण।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण